न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

पी0ए0 अपील वाद सं0–03/2023

सादीन सोरेन
बनाम
नीमोती हॉसदा एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह अपीलवाद, अपीलकर्त्ता सादीन सोरेन, पिता–स्व0 समीएल सोरेन, सा0–रानीपुर, थाना–महेशपुर (रद्दीपुर ओ0पी0), जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–61/2006–07 (साथ में पी0ए0 वाद सं0–06/2020–21, पी0ए0 वाद सं0–09/2020–21 एवं पी0ए0 वाद सं0–31/2022–23 संलग्न) में दिनांक–08.05.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) झारखण्ड राज्य (2) नीमोती हॉसदा, पति–मुस्लीम उर्फ मोरसलीम सोरेन, सा0–रानीपुर, थाना–महेशपुर ओ0पी0, जिला–पाकुड़ (3) मुस्लीम उर्फ मोरसलीम सोरेन, पिता–स्व0 नोरेन सोरेन, सा0–रानीपुर, थाना–महेशपुर ओ0पी0, जिला–पाकुड़ (4) जोगेशे सोरेन, पिता–स्व0 गोपीन सोरेन, सा0–रानीपुर, थाना–महेशपुर ओ0पी0, जिला–पाकुड को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।

वाद अंगीकरण के बिन्दू पर अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। अपीलकर्त्ता का कहना है कि मौजा–रानीपुर एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के अंतिम नियुक्त पट्टाधारी ग्राम प्रधान स्व0 मोजेस सोरेन थे। जिनकी मृत्यु दिनांक–10.09.2019 को हो गई है। अपीलकर्त्ता अंतिम प्रधान के चचेरा भाई है। निम्न न्यायालय द्वारा गलत तरीके से नीमोती हॉसदा (उत्तरवादी सं0–02) को प्रश्नगत मौजा का ग्राम प्रधान SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत नियुक्त किया गया। नीमोती हॉसदा के द्वारा अपने पति के भाई मोरसलीम सोरेन के साथ दूसरी शादी कर ली गई एवं निम्न न्यायालय में अपना दावा वापस ले लिया गया था। संथाल कस्टमरी लॉ के अनुसार पत्नी वंशानुगत आधार पर अपना दावा नहीं कर सकती है। केवल पुत्र एवं घरजमाई पुत्री ही वंशानुगत आधार पर अपना दावा कर सकती है। दावा वापस ले लिए जाने के बाद भी निम्न न्यायालय द्वारा निमोती हॉसदा को धारा 6 के तहत ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया, जो कानून की नजर में गलत है।

संम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। निम्न न्यायालय

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	द्वारा पारित आदेश का गहन विश्लेषण किया गया। प्रश्नगत मौजा रानीपुर एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के अंतिम नियुक्त प्रधान मोजेस सोरेन थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। निमोती हॉसदा अंतिम प्रधान की पत्नी थी, जिनके द्वारा मोजेस सोरेन के भाई मोरसलीम सोरेन अर्थात अपने देवर के साथ दूसरी शादी कर ली गई। SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत दावा वंशानुगत आधार पर किया जाता है। पत्नी वंशानुगत दावे के अन्तर्गत नही आ सकती है। केवल पुत्र अथवा घरजमाई रीति से व्याहता पुत्री ही वंशानुगत आधार पर अपना दावा कर सकती है। अपीलकर्त्ता का भी वंशानुगत आधार पर दावा नहीं बनता है। निम्न न्यायालय द्वारा निमोती हॉसदा को अंतिम प्रधान का Direct Line का उत्तराधिकारी मानते हुए SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत उनकी नियुक्ति ग्राम प्रधान के पद पर कर दी गई, जो विधि विरूद्ध है। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील आवेदन अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–08.05.2023 को निरस्त (Set-aside) किया जाता है। यह आदेश दिया जाता है कि Thakur Hembrom Vrs State of Bihar & others में पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए पहले SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत दिए गए दावे का निष्पादन करेंगे तथा धारा 6 के तहत किए गए दावे के अस्वीकृत होने की स्थिति में धारा 5 के तहत पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए 60 दिनों के अन्दर मामले का निष्पादन करेंगे। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित। उ प्र मु क्त, पाकुड़। 28/6/23 उ प्र मु क्त, पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.07.22 13:03:31 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:2ce1:8868:3557:aab2

Scanned with CamScanner